

मांग संख्या 39  
मुख्य शीर्ष 2408

**मद क्रमांक 1 से 2**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना अंतर्गत ₹ 309.87 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,09,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 से 14**

राज्य खाद्य आयोग के गठन हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 35.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 35.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

सूखा राहत चावल वितरण योजना अंतर्गत पात्र व्यक्ति को रियायती दर पर खद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु ₹ 2177.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।